न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/449

1. श्रीमती दिलभर बाई पत्नी श्री हेमन्त कुमार पुत्री श्री राम कल्याण जाति धाकड निवासी 31, मेघवाल मोहल्ला, बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामकल्याण आत्मज श्री रामलाल जाति धाकड (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. बिरधी बाई बेवा श्री रामकल्याण जी जाति धाकड निवासी राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमतीं मंजू बाई पुत्री श्री रामकल्याण पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी किशनपुरा तकिया ।
2. श्रीमती धन्नी बाई पुत्री रामकल्याण पत्नी महेन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी ग्राम नलका जिला बारां ।
3. श्रीमती भूली बाई पुत्री राम कल्याण जी पत्नी श्री बनवारी लाल जाति धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. श्रीमती राजेश बाई पुत्री श्री रामकल्याण पत्नी श्री देवीशंकर जाति धाकड निवीस भगवानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती मनभर बाई पुत्री रामकल्याण पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश जाति धाकड निवासी पालकिया तहसील सांगोद जिला कोटा कोटा । ,
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते उपहार पत्र को प्रभावशून्य घोषित करने हेतु एंव स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में प्रतिवादी क्रम 2 के खाते में खसरा नम्बर 350, 398, 491, 492, 545, 579, 612 कुल 07 किता की कुल 9.05 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 को उसके पिता रामलाल जी से प्राप्त हुई है और उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमियॉ हैं जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 के साथ उसकी सभी पुत्रियॉ वादीगण व प्रतिवादिनी क्रम 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है तथा वादीगण का जन्म से ही समान हक व अधिकार है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा व विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा विचाराधीन है । उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा बनता है तथा उक्त भूमि को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1व 2 शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पुश्तैनी होने से प्रतिवादी क्रम 2 को किसी एक सम्पूर्ण खसरा नम्बर की अविभाजित भूमि को गिफ्ट करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी प्रतिवादिनी क्रम 1 ने प्रतिवादी क्रम 2 से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं का अनुचित लाभ उठाते हुए केवल मात्र एक ही खसरा नम्बर 579 की 3.29 हैक्टर भूमि का अपने नाम उपहार (गिफ्ट डीड) दिनांक 13.06.2013 को आलेखित करवा कर पंजीकृत करवा लिया । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः उक्त रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड वादीगण के विरूद्ध निम्न कारणों से अवैध, अवैधानिक, प्रभावशून्य है वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है । प्रतिवादिनी क्रम 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि को उपहार करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही एक विशेष खसरा नम्बर की भूमि को उपहार करने का अधिकार है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के शामलाती रूप से कब्जे में चली आने के कारण तथाकथित उपहार पत्र एक लडकी के नाम कर देने से उक्त उपहार पत्र निरस्तनीय है । उक्त भूमि में प्रतिवादिनी क्रम 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा है उक्त उपहार पत्र इस आधार पर भी निरस्तनीय है । उक्त उपहार पत्र वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रभावशून्य घोषित किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 579 की 3.29 हैक्टर भूमि को किसी अन्य प्रकार से रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द एवं अन्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पेज नम्बर 03 के प्रथम पेरा से ही स्पष्ट है कि दिवानी न्यायालय में जैरकार वाद संख्या 204/13 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वाद को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानकर लौटाने पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने राजस्व न्यायालय में पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों को ताक में रखते हुए अपीलान्ट को सूचित किये बिना तथा जवाब दावा व

शहादत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो प्रभावहीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत गिफ्ट डीड को निरस्त करने में त्रुटि की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन कया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थीगण को सूचित किये निर्णय पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा रेवेन्यू अभियान में निर्णय की लिस्ट देखने पर दिनांक 08.08.2017 को हुई तब नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में बिना जवाबदावा बिना शहादत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । लोक अदालत की कोई सूचना पक्षकारों को नहीं दी गई । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था, सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली इंतजार तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी संख्या 1 मंजू बाई, वादिनी संख्या 2 धन्नी बाई, वादिनी संख्या 03 भूली बाई, वादिनी संख्या 4 राजेश बाई एवं वादिनी संख्या 5 मनभरबाई की उपस्थिति दर्ज की गई है । प्रतिवादीगण में से कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और उसी दिन

गुणावगुण के आधार पर दावा डिक्री किया गया है । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्टगण को जारी की गई हो इसकी पुष्टि भी पत्रावली के रिकॉर्ड के नहीं होती है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा